

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ़ेशर /2021/225

दिनांक: 15 सितम्बर, 2021

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ़ेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ़ेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	तुषतिद जोशी	विधि	राज.विधि.महा. भीलवाडा	रिफ़ेशर	21.09.2021 से 5.10.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
2	मंजू चौधरी	रसायन शास्त्र	राज. विज्ञान महा. सीकर	रिफ़ेशर	27.09.2021 से 09.10.2021	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
3	राहुल कुमार जोनवाल	वनस्पति शास्त्र	राज.पी.जी. महा. राजगढ़ (अलवर)	रिफ़ेशर	21.09.2021 से 5.10.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
4	रश्मि कुन्द्रा	एबीएसटी	राज.पी.जी. महा. राजगढ़ (अलवर)	रिफ़ेशर	21.09.2021 से 5.10.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
5	राकेश कुमार मीणा	रसायन शास्त्र	राज. पी.जी.महा. झालावाड़	रिफ़ेशर	20.09.2021 से 4.10.2021	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
6	रेखा विश्नोई	भूगोल	राज.महा.कालाडेशा	रिफ़ेशर	17.09.2021 से 30.09.2021	कुमायू विश्वविद्यालय नैनीताल
7	श्याम सोनी	रसायन शास्त्र	राज. महा., टोंक	रिफ़ेशर	27.09.2021 से 09.10.2021	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
8	छोटुराम	अंग्रेजी	राज.महा.तारानगर	रिफ़ेशर	23.09.2021 से 08.10.2021	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।


(डॉ सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)